फाइल नं. 22015/2/2014-भंडार-I (पार्ट)
भारत सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन

वॉक-इन-इंटरव्यू

तकनीकी विशेषज्ञों के निम्नलिखित संविदा आधारित पदों को आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक के लिए भरे जाने का प्रस्ताव है। इच्छुक अभ्यर्थी बायो-डाटा तथा टेस्टीमोनियल्स की फोटो-कॉपियों के साथ, और यदि अन्यत्र नियोजित हों तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ पदों के सामने दर्शाई गई तारीख एवं समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। चयन कर लिए जाने पर मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। यह दोहराया जाता है कि ये संविदा आधारित पद हैं और मासिक समेकित परिलब्धि के अलावा अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा। सरकार संविदा आधारित सेवाओं के नियमितीकरण के लिए बाध्य नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को, परामर्शदाता को पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन को निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में प्रस्तुत करें।

पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता/अनुभव	अधिकतम वेतन	तैनात किए जाने का स्थान	वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख समय और स्थान
लेखाकार	02	बी.कॉम उत्तीर्ण और सरकारी, लेखां क्रियाविधि और कम्प्यूटर संबंधी काम करने का 3 वर्ष का अनुभव अथवा स्नातक एवं एसएएस पास कर चुका केंद्र/राज्य सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी	25,000/-रु. प्रति माह समेकित। कोई वेतनवृद्धि और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।	नई दिल्ली	**08.01.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन उप महानिदेशक (भंडार) का कार्यालय वैस्ट ब्लॉक नं. 1 विंग नं. 6 आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66
तकनीकी सहायक	04	डी.फार्मा /बी.एससी. रसायन विज्ञान के साथ किसी फार्मा कंपनी में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव।	20,000/-रु. प्रति माह समेकित। कोई वेतनवृद्धि और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।	नई दिल्ली	**08.01.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन उप महानिदेशक (भंडार) का कार्यालय वैस्ट ब्लॉक नं. 1 विंग नं. 6 आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66

टिप्पणी: वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आवेदन पूर्वाह्न 9.30 से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

सुशील चन्द्र लाल

(सुशील चंद्र लाल)
अनुभाग अधिकारी (एमएसओ)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन

पृष्ठभूमि:

चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक अधीनस्थ विंग है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन एवं अर्धसैनिक बलों सहित देश की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के पास दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की खरीद का कार्य कर रहा है चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ पल्स पोलियो टीकाकरण, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बाल जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत औषधियों एवं संबंधित चिकित्सा सामग्री भंडारों को प्राप्त करने और आपूर्ति करने में भारतंत्रों/औषधियों/स्वास्थ्य के टीकों एवं परंपरागत गर्भ निरोधक वस्तुओं आदि की प्राप्ति एवं भंडारण करता है तथा समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जारी रिलीज ऑर्डरों के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर इनकी आपूर्ति करता है ।

चक्रवात, बाढ़, सूखा जैसी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय आपात स्थिति और भूकम्प आदि जैसी राष्ट्रीय आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर जीवन रक्षक वस्तुओं की आपूर्ति करके चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन (मुख्यालयों) द्वारा तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है विदेश मंत्रालय के निदेश पर, तत्काल आधार पर चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा विदेशों में भी चिकित्सा राहत सहायता का प्रबंध किया जाता है ।

<u>चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के मुख्य</u> कार्य :

मंत्रालय के तहत एक खरीद इकाई के रूप में, देश भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं/इकाइयों के लिए अपेक्षित दवाइयों, सर्जरी के आइटमों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री आपूर्तियों/भंडारों की प्रापण, खरीद भंडारण एवं आपूर्ति करना।

औषधियों एवं संबंधित भंडारों की आपूर्ति की प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण, जिसमें भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएसएआईडी एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों से प्राप्त विभिन्न टीके शामिल हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, क्षयरोग, कुष्ठ, सीएसएसएम एवं परिवार कल्याण जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित भंडारों का भंडारण एवं जारी करना।

निबंधन व शर्तें

1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.08.2015 को 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. अभ्यर्थी के पास अच्छा संप्रेषण एवं व्यवहार कौशल होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर एपलिकेशन तथा ऑनलाइन कार्य करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
4. पद पर नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा आधार पर होगी।
5. एमएसओ, आर के पुरम, नई दिल्ली द्वारा किसी प्रकार का आवास या मकान का किराया नहीं दिया जाएगा। परामर्शदाता के पास दिल्ली/नई दिल्ली अथवा निकटवर्ती स्थान पर स्वयं का आवास होना चाहिए।
6. संविदा की अवधि आरंभ में एक वर्ष की होगी या नियमित आधार पर पदों के भरने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
7. प्रचलित नियमानुसार आयकर या कोई अन्य कर जिसकी कटौती की जानी है भुगतानों के स्रोत पर कटौती कर ली जाएगी, जिसके लिए एमएसओ, आर के पुरम, नई दिल्ली टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करेगा।
8. परामर्शदाता मंहगाई भत्ता, यातायात सुविधा, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि के हकदार नहीं होंगे।
9. परामर्शदाता यथानुपात आधार पर एक कलेन्डर वर्ष में 12 दिनों की छुट्टी हेतु पात्र होगा।
10. कार्य आरंभ करने या समाप्त होने पर किसी प्रकार का यातायात भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। तथापि, परामर्शदाता को सरकारी कार्य के संबंध में देश के भीतर यात्रा करने पर टीए/डीए दिया जाएगा।
11. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के डाटा या आंकड़ों या कार्य वाही या सूचना का उपयोग अथवा प्रकाशन नहीं करेगा या खुलासा नहीं करेगा या तृतीय पक्ष को नहीं सौंपेगा। परामर्शदाता संविदा के समाप्त होने तथा अंतिम भुगतान जारी करने के पूर्व विभाग को कार्य का संपूर्ण रिकॉर्ड हेंडओवर करने के लिए बाध्य होगा।
12. नियुक्त किया गया परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के हित के प्रतिकूल किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, या राय नहीं देगा, या किसी विषय में दूसरों को सलाह नहीं देगा।
13. उप महानिदेशक (स्टोर्स) के पास किसी भी स्तर पर विज्ञापन को निरस्त करने तथा परामर्शदाता को कार्य पर रखने के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार होगा या बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
14. उप महानिदेशक (स्टोर्स), निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा को समाप्त कर सकते हैं, यदि:-
    - परामर्शदाता दिया गया कार्य करने में असमर्थ है।
    - सुपुर्द कार्य की गुणवत्ता डीजीएचएस की संतुष्टि के अनुरुप नहीं है।
    - परामर्शदाता उप महानिदेशक (स्टोर्स) द्वारा अंतिम रूप से लिए गए निर्णय के रुप में उपलब्धियों के लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं कर पाता है।
    - परामर्शदाता ईमानदार व सत्यनिष्ठ नहीं है।

उप महानिदेशक (स्टोर्स) के पास परामर्शदाता को 15 दिनों का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा। संविदा की समाप्ति परामर्शदाता को लिखित नोटिस देकर की जा सकेगी जो उस नोटिस के 15 दिन के बाद प्रभावी होगी। संविदा की समाप्ति, समाप्ति से पूर्व किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से रहि

अनु लग नक

....के पद हे तु आवे दन प्रपत्र

हाल ही का एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं (रं गीन)

1. नाम तथा पता (स्प ष्ट अक्षरों में :)
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि तथा आयु:
4. वर्त मान पता
5. से वा निवृ ति की तारीख(यदि लागू हो)
6. शै क्षिक योग्यताएं

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	कॉले ज/विश्वविद्यालय/ बोर्ड

7. नियोजन का ब्यौरा कालक्रमानु सार(यदि दिया गया स्थान अपर्या प्त हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग से कागज जोड़ें ।

कार्या लय/सं स्था सं गठन	धारित पद	से	तक	वे तनमान/अं तिम मू ल वे तन	कार्य का स्वरुप

8. वर्त मान रोजगार का स्वरुप अर्था त् तदर्थ , अस्थायी या सं विदा आधार पर
9. प्रति माह आहरित कु ल परिलब्धिया
10. अतिरिक्त सू चना,यदि कोई हो तो, जिनका आप पद हे तु अपनी उपयु क्तता के सं बं ध में उल्ले ख करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्या प्त है तो अलग सीट सं लग्न करें ।
11. क् या आप अनु सू चित जाति/अनु सू चित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग के? हैं
12. टिप्पणी, यदि कोई हो तो।

दिनां क.. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..

नाम...

पता...

दू रभाष..

ई मे ल आईडी ....